केसर बाई

बनाम

जेंडा लाल और ए. एन. आर.

(2022 की सिविल अपील संख्या 7129)

/

14 अक्टूबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी जे**.]**

मुकदमा-स्वामित्व और स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए मुकदमा-पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी-निचली अदालत ने मुकदमे को खारिज कर दिया-पहली अपीलीय अदालत ने कहा कि वादी-प्रतिवादी को बिक्री विलेख के आधार पर कोई अधिकार नहीं मिला-हालांकि, पहली अपीलीय अदालत ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक के लिए मुकदमे का फैसला सुनाया और प्रतिवादी-अपीलकर्ता को वादी-प्रतिवादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया-उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील जिसने प्रतिकूल कब्जे पर विधि का पर्याप्त प्रश्न विरचित किया और उसी का फैसला अपीलकर्ता के पक्ष में किया, हालांकि, उसके बाद पहली अपीलीय अदालत द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया-आयोजितःनीचे दिए गए सभी न्यायालय ों ने पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर स्वामित्व के मूल वादी के दावे को अस्वीकार कर दिया-इसलिए, वादी की ओर से एकमात्र दावा प्रतिकूल कब्जे की याचिका थी-जहां तक प्रतिकूल कब्जे की याचिका का संबंध था, उच्च न्यायालय ने विशेष विरचित से विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया था और इस तरह से अपीलकर्ता-प्रतिवादी के पक्ष अंतर्गत एक ही निर्णय दिया था-उच्च न्यायालय ने विशेष विरचित से कहा और कहा कि बिक्री विलेख और प्रतिकूल कब्जे की याचिका के आधार पर स्वामित्व की याचिका, दोनों, एक दूसरे के विपरीत थे और वादी को एक ही समय अंतर्गत दोनों याचिकाओं को लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी-इसलिए, उच्च न्यायालय के अनुसार, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी का दावा मान्य नहीं था-मामले के उस दृष्टिकोण अंतर्गत और एक बार

/

/

/

/

/

/

564 ए.

565

केसर बाई बनाम जेंडा लाल और ए. एन. आर.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि बिक्री विलेख और प्रतिकूल कब्जे की याचिका के आधार पर स्वामित्व की याचिका, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और वादी को एक ही समय में दोनों याचिकाओं को लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसलिए, उच्च न्यायालय के अनुसार भी, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी का दावा मान्य नहीं था। मामले के उस दृष्टिकोण में और एक बार जब प्रतिकूल कब्जे पर विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न अपीलार्थी के पक्ष में रखा गया-मूल प्रतिवादी संख्या **1** और दिनांकित बिक्री विलेख के आधार पर दावा किया गया शीर्षक/स्वामित्व **31.08.1967 (Ex.P.1)** को नीचे दिए गए सभी न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, उसके बाद वादी के कब्जे/कथित कब्जे को वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करके संरक्षित नहीं किया जा सकता था।इन परिस्थितियों अंतर्गत , उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करने और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि करने अंतर्गत भौतिक रूप से गलती की है।**[**पैरा **5] [567-**एच**; 568-**ए-सी**]**

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 7129।

जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 1999 की दूसरी अपील संख्या 8 के निर्णय और आदेशों से।अर्जुन गर्ग, शोभित जैन, आकाश नंदोलिया, सुश्री सागुन श्रीवास्तव, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

/

सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, ए. ए. जी., सनी चौधरी, मनोज कुमार, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. 1999 की दूसरी अपील संख्या 8 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रधान पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रतिवादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:- 2.1 कि प्रतिवादी संख्या 1-मूल वादी ने मुकदमे की संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी के खिलाफ स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया।मूल वादियों ने दावा किया

/

566

/

[2022] 13 एस सी आर।

/

उनके पिता और पति दरियाब सिंह के पक्ष में 31.08.1967 पर निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर स्वामित्व/स्वामित्व।वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अधिकार का दावा किया।विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया।

2.2 मूल वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।विद्वत प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हालांकि यह अभिनिर्धारित किया कि वादी को दिनांकित बिक्री विलेख के आधार पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा (31.08.1967 (Ex.P.1), यह देखते हुए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद का आदेश दिया कि वादी मुकदमे की भूमि के कब्जे में हैं।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि इसलिए, वादी ने प्रतिकूल अधिकार के माध्यम से अपने अधिकार को परिपूर्ण कर लिया है।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे पर स्वामित्व के लिए वाद का आदेश दिया और प्रतिवादी संख्या 1-अपीलार्थी को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की।इसमें अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की।उच्च न्यायालय ने कानून

के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न विरचित किए:- "क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि वादी ने विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा करके अपने अधिकार को पूर्ण कर लिया है? "

/

/

/

2.3 यद्यपि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में विधि के उपरोक्त महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया, फिर भी, इसके बाद प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में यह कहते हुए हस्तक्षेप नहीं किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विशेष रूप से यह निष्कर्ष दिया है कि वादी दिनांकित बिक्री विलेख के निष्पादन के बाद से वाद भूमि के कब्जे में हैं।नतीजतन, उच्च न्यायालय ने उक्त दूसरी अपील को खारिज कर दिया है।दूसरी अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है।

/

/

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील-मूल प्रतिवादी संख्या 1 ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि वादी ने दिनांक 31.08.1967 (Ex.P.1) के पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर स्वामित्व/स्वामित्व का दावा करने वाली घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया है।और प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व का भी दावा किया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दिए गए सभी न्यायालयों ने पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर मूल वादी के दावे को अस्वीकार कर दिया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद वादी की ओर से एकमात्र प्रश्न प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश में, उच्च न्यायालय के पास ए है

/

/

यद्यपि अपीलार्थी के पक्ष में प्रतिकूल कब्ज़े पर विधि के ठोस प्रश्न को यह कहते हुए अभिनिर्धारित किया कि बिक्री विलेख और प्रतिकूल कब्ज़े की याचिका के आधार पर स्वामित्व की याचिका, दोनों एक-दूसरे के विपरीत हैं और वादी को एक ही समय में एक ही याचिका लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसके बाद उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया है

और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है जिसमें मालिकाना हक के लिए वाद का आदेश दिया गया है और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री भी पारित की गई है।

/

3.1 अपीलार्थी की ओर से वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब मूल वादी 31.08.1967 (Ex.P.1) पर निष्पादित बिक्री विलेख के आधार पर स्वामित्व/घोषणा के लिए डिक्री प्राप्त करने में विफल रहे और प्रतिकूल कब्जे के संबंध में विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में रखा गया, तो उसके बाद मूल वादी स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री के हकदार नहीं होंगे।3.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि एक बार जब वादी मालिक नहीं पाए जाते हैं, तो वे प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।प्रश्न भूमि पर उनका कब्जा केवल अतिक्रमणकारी की प्रकृति में हो सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा देने में गंभीर गलती की है।

/

/

/

4. प्रत्यर्थी संख्या 2-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. ए. जी. सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया है कि वह एक प्रोफार्मा प्रत्यर्थी की ओर से पेश हो रही हैं और इसलिए, उनके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है।

5. उच्च विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय और यहां तक कि विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि मूल वादी ने एक घोषणा के लिए अनुरोध किया और दिनांकित बिक्री विलेख 31.08.1967 (Ex.P.1) के आधार पर स्वामित्व/स्वामित्व का दावा किया। साथ ही, वादी ने प्रतिकूल कब्जे से भी अधिकार का दावा किया।नीचे दिए गए सभी न्यायालयों ने दिनांक 31.08.1967 (Ex.P.1) के पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर स्वामित्व के मूल वादी के दावे को अस्वीकार कर दिया है।इसलिए, वादी की ओर से एकमात्र दावा प्रतिकूल अधिकार की याचिका थी।जहाँ तक प्रतिकूल अधिकार की याचिका का संबंध है, उच्च न्यायालय ने विशेष विरचित से विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न (यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है) तैयार किया है और इस तरह अपीलार्थी के पक्ष में वही निर्णय लिया है-मूल प्रतिवादी संख्या 1। उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अवलोकन किया है और अभिनिर्धारित किया है कि स्वामित्व की याचिका

/

/

/

568

/

[2022] 13 एस सी आर।

बिक्री विलेख और प्रतिकूल अधिकार की याचिका के आधार पर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और वादी को एक ही समय में दोनों याचिकाओं को लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, उच्च न्यायालय के अनुसार भी, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी का दावा मान्य नहीं था।मामले के उस दृष्टिकोण में और एक बार जब प्रतिकूल कब्जे पर विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न अपीलार्थी के पक्ष में रखा गया-मूल प्रतिवादी संख्या 1 और दिनांकित बिक्री विलेख के आधार पर दावा किया गया शीर्षक/स्वामित्व 31.08.1967 (Ex.P.1) को नीचे दिए गए सभी न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, उसके बाद वादी के कब्जे/कथित कब्जे को वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करके संरक्षित नहीं किया जा सकता था।इन परिस्थितियों अंतर्गत , उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करने और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि करने अंतर्गत भौतिक रूप से गलती की है।

/

/

6. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च विचारण न्यायालय द्वारा 1999 की दूसरी अपील संख्या 8 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश और प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है और विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे को खारिज करते हुए पारित निर्णय और डिक्री को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।

/

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।यद्यपि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

/

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)

/

/

/